

19.08.2026

आवेदक विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए , सनहा आवेदन पर आवेदक एवं विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक विपक्षीगण पर गंभीर प्रकृति का आरोप लगाया है ।

कार्यालय आवेदन की कॉपी संबंधित थाना भेंजें। आवेदन निष्पादित किया जाता हैं । कार्यालय सभी प्रक्रिया पश्चात् अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित



मुख्य न्या० दण्डा०
मधेपुरा